Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 92/12 सी.आई.एस.क्र.– 92/12

श्री ओम प्रकाश भगत एवं अन्य बनाम बिहार राज्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
16/05/25	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.012.24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वाद भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के पिता कमलेश्वरी प्रसाद भगत के नाम से दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के बाद वाद भूमि का बटवारा उनके चार भाइयों के बीच हुआ परन्तु त्रुटिवश दो भाई जय प्रकाश भगत एवं शिव प्रकाश भगत का नाम वाद पत्र में अंकित किया जाना छुट गया जो वाद के आवश्यक पक्षकार हैं। अतः विनम्र निवेदन है कि वाद पत्र में वादी के रूप में उनको जोड़े जाने की कृपा की जाए। राज्य की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वाद भूमि उच्चतर प्राथमिक विद्यालय रूपौली की है तथा उक्त वाद भूमि में वादीगण का कोई भी हिस्सा नहीं है। जिस कारण से वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण के द्वारा यह वाद इस आधार पर लाया गया है कि वाद भूमि के स्वामी वादीगण के पिता कमलेश्वरी भगत थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रगण के बीच बटवारा हुआ तथा वादभूमि वादी संख्या 1 एवं 2 के हिस्से में आधा–आधा प्राप्त हुआ। कमलेश्वरी प्रसाद भगत के अन्य दो पुत्र जय प्रकाश भगत एवं शिव प्रकाश भगत भी थे। जिससे स्पष्ट है कि वे वाद में आवश्यक पक्षकार है परन्तु त्रुटिवश वाद पत्र में वादी के रूप में उनका नाम अंकित नहीं है। अतः वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उन्हें वाद पत्र में वादी संख्या 3 और 4 के रूप में जोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। वाद आगामी दिनांक 27.05.25 प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूणियाँ	